BSES

बिजली चोरी के आरोप में व्यवसायी को भेजा तिहाड़ जेल

- 15 किलोवॉट की बिजली चोरी पकड़ी
- 3.53 लाख रूपये का जुर्माना किया
- जुर्माना अदा न करने पर, बीएसईएस ने एफआईआर दर्ज कराई
- फिर, पुलिस ने ओमवीर को गिरफ्तार स्पेशल कोर्ट में पेश किया
- पटपड़गंज स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेजा

नई दिल्ली, 16 नवंबर, 2007। पटपड़गंज स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट ने बिजली चोरी करते पकड़े गए व्यवसायी ओमवीर को तिहाड़ जेल भेज दिया है। ओमवीर को 15 किलोवॉट की बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया था और उन पर 3.53 लाख रूपये का जुर्माना किया गया था। आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा गया है।

झिलमिल रोजगार कार्यालय के निकट स्थित 22, पूर्वी अर्जुन नगर निवासी ओमवीर के यहां बीएसईएस एन्फोर्समेंट टीम ने छापा मारा। हालांकि, वहां बिजली का मीटर मौजूद था, लेकिन उसे डिसकनेक्ट कर, पास से गुजर रही बीएसईएस की तार पर कंटिया लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। वहां घरेलू और व्यावसायिक दोनों उद्देश्यों के लिए बिजली चोरी हो रही थी।

बिजली कानून 2003 के अनुसार, आरोपी को 15 किलोवॉट बिजली चुराने के जुर्म में 3.53 लाख रूपये का जुर्माना किया गया। लेकिन आरोपी ने जुर्माने की रकम अदा नहीं की। इसके बाद, बीएसईएस ने इस मामले में स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज कराने पर आरोपी को को गिरफ्तार कर, उसे स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया।

बहरहाल, अब तक बीएसईएस ने 6500 से अधिक मामले तीन स्पेशल कोर्ट्स में दर्ज कराए हैं और अब तक 210 बिजली चोरों को जेल की सलाखों की पीछे भेजा जा चुका है। बिजली चोरों ने कुल 2400 दिन सलाखों के पीछे गुजारे हैं।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: प्रशान्त दुआ
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 39999870/ 9312007822

चंद्र पी कामत
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 39999088/ 9350130304